न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/108

प्रार्थी:–

भरतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी सिंचाणा हाल बेरा समदड़ा ग्राम ठाकुरवास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. देवीसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपुत निवासी रावली पोल के अन्दर गांव सिंचाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत गुडा सुरसिंह पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र तिवारी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/03/2025

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ा सुरसिंह द्वारा मिसल संख्या 1/1982–83, दिनांक 24.01.1982 संकल्प संख्या 05 दिनांक 18.12.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता डुगंरसिंह पुत्र सवाईसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 19.03.1991 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी का स्टेट समय से खाली प्लॉट ग्राम सिंचाणा में स्थित है। जैर निगरानी पट्टे हेतु प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उनके चचेरे भाई मूलसिंह पुत्र पाबुसिंह द्वारा आपत्ति पेश की गयी और मौका निरीक्षण में पाया कि उक्त प्लॉट की भूमि पैतृक है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। वर्ष 1989–90 व 1990–91 में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता डुंगरसिंह स्वयं ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए तथा उक्त पत्रावली को पुनः खोलकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया। इसके अतिरिक्त पारिवारिक बंटवाड़े में भी जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थी के पक्ष में माना गया था। अप्रार्थी के पिता सरपंच पद पर होते हुये ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल की प्रति वकील प्रार्थी ने पेश की है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी का

Scanned with ACE Scanner

कथन है कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जबकि वास्तविकता में मिसल नष्ट हो गयी है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा खारिज करवाने का मुख्य आधार पुश्तैनी सम्पति बताया है। इसके सम्बन्ध में प्राथमिकी भी दर्ज हो रखी है। भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के ग्राम सिंचाणा के खसरा परिशोधन पत्र के अनुसार भी ग्राम सिंचाणा की उपरोक्त सम्पति अप्रार्थी में हिस्से में आई तथा प्रार्थी का ग्राम सिंचाणा की खातेदार व आबादी भूमि में कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त पुलिस अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार भी जैर निगरानी आराजी पारिवारिक बंट में अप्रार्थी के हिस्से में आई है। अप्रार्थी को भूमि व भूखण्ड की जानकारी दिये बिना फर्जी तरीके से आम मुख्तियारनामा बनाया गया है जिसका सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रार्थी ग्राम सिंचाणा का निवासी न होकर ग्राम ठाकुरवास के निवासी है और प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास भी उसी स्थान पर हुआ है। प्रार्थी को जैर निगरानी भूखण्ड की जानकारी होते हुये भी 35 वर्ष बाद आये, इसलिये निगरानी म्याद बाहर है। जैर निगरानी पट्टा जारी करवाये जाने हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर मूलसिंह ने लिखित में आपत्ति वापस लिये जाने पर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये भुखण्ड का पट्टा बाजार किमत पर जारी किया है, जो विधिनुसार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors.,2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की लिखित बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुड़ा सुरसिंह द्वारा मिसल संख्या 1/1982–83, दिनांक 24.01.1982 संकल्प संख्या 05 दिनांक 18.12.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता डुगंरसिंह पुत्र सवाईसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 19.03.1991 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का अपील मीमों में यह उज्र था कि जैर निगरानी पट्टे की कोई मिसल नहीं बनायी गयी जिसका खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल बनाई गयी थी, जो ग्राम पंचायत में नष्ट हो गयी है तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त मिसल की प्रति भी अपील मीमों के संलग्न पेश की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बधिन्त मिसल कायम की गयी थी, जो अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिसल की प्रति से प्रमाणित है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह भी रहा कि अप्रार्थी के पिता के आवेदन पर कायम मिसल संख्या 1/1982–83 कायम की गई थी जिस पर मूलसिंह द्वारा आपत्ति पेश करने पर उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया था उसके उपरान्त अप्रार्थी के पिता सरपंच पद पर निर्वाचित होने से उस निरस्त आवेदन को पुनः खोलकर जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध तरीके से जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि यह सही है कि मूलसिंह ने आपत्ति पेश की थी परन्तु मूलसिंह के द्वारा ही दिनांक 28.05.1990 को एक लिखित पेश कर उक्त

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

पट्टे में कोई आपित्त पेश नहीं होना बताया है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने ऐसे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तत्कालीन समय में सरपंच हो, उन्होनें बिना किसी विधिक आधारों के उपरोक्त कथन अंकित किये है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मिसल एवं जैर निगरानी पट्टे पर उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व सरपंच के हस्ताक्षरों के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तत्कालीन समय में सरपंच निर्वाचित हो, इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण पत्रावली पर ऐसे कोई ठोस तथा विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों को बल दे सके। साथ ही मिसल की प्रति की आदेशिका दिनांक 19.06.1990 में यह स्पष्ट अंकित है कि "मूलसिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की थी जो मूलसिंह ने दिनांक 28.05.90 को लिखित में प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अब मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।" इससे यह सुस्पष्ट है कि मूलसिंह स्वंय ने वह आपत्ति खारिज कर की है। इसलिये उपरोक्त आधारों पर अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का लिखित बहस में मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि उभयपक्ष की पुश्तैनी सम्पति है तथा बंटवाडें में वह प्रार्थी के पक्ष में आई थी, जिसकी अप्रार्थी ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के ग्राम सीचाना तहसील खारची जिला पाली खसरा परिशोधन–पत्र में यह अंकित है कि जैर आराजी बंट में अप्रार्थी के पक्ष में आई है और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.10.2018 अप्रार्थी के पक्ष में है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन के मु.न. 122/2018 में पुलिस थाना सिरियारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि डुंगरसिंह का देहान्त होने पर उनके एक मात्र वारिस होने से उनके हिस्से की खातेदारी व आबादी भूमि ग्राम सिचाणा में विरासत में प्राप्त हुई तथा शम्भुसिंह को भी सिचाणा में मिली थी व गोविन्द सिंह व मदनसिंह को ठाकुरवास में खातेदारी भूमि व आबादी भूमि पूर्वजों के बंटवारें में मिली थी तथा मदनसिंह पूरे जीवन ठाकुरवास में ही निवास किया तथा उनका देहान्त भी ठाकुरवास में ही हुआ था, देवीसिंह के आपसी बंटवारे की बात बताकर एक प्लॉट बाबत् लिखावट करवाई थी जबकि मौके पर लगातार ही उक्त प्लॉट पर देवीसिंह के परिवार का ही कब्जा था। इसके अतिरिक्त भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के ग्राम सीचाना तहसील खारची जिला पाली खसरा परिशोधन–पत्र में यह भी यह स्पष्ट अंकित है कि मदनसिंह वल्द सवाईसिंह ने हाजिर होकर जाहिर किया कि मेरे पिताजी को फौत हुए करीब चार साल होने को आये है व हम उनके चार लडके है जो उनके मौजूदगी में ही हम सब भाईयों को अलग अलग जमीन व मकान आदि देकर जुदा किये करीब 20 साल होने को आये है। हम दो भाई ठाकरवास रहते है व वही पर पिताजी की दी हुई भूमि पर कब्जा कास्त करते है। इस गांव की आराजी पर यहां रहने वाले भाईयो के बंट में है व पुराना कब्जा कास्त भी इन्हीं का है। उपरोक्त आधारों एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पति अप्रार्थी के पिता के पक्ष में आई थी, जिस पर उनके

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र प्रमाणित नहीं होने की दशा में खारिज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का उज्र यह भी रहा कि प्रार्थी ने एक आम मुख्तियारनामा दिनांक 06.01.2011 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित सम्पूर्ण विधिक उत्तराधिकर प्रार्थी व उसके भाई के पक्ष में निष्पादित किये तथा अप्रार्थी ने लिखत दिनांक 30.01.2006 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे को प्रार्थी के पक्ष में बताया है। इसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को अन्य जमीन का हवाला देते हुये फर्जी तरीके से आम मुख्तियारनामा निष्पादित करवाया है तथा यह दस्तावेज केवल मात्र नोटेरी है इसे पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा उक्त फर्जी दस्तावेजों को निरस्त करवाने का वाद भी माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को वर्ष 2011 में ही जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हो गयी थी उसके उपरान्त भी लगभग 12 वर्ष जैर निगरानी प्रस्तुत की है उसमें भी देरीना का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनिय, 1994 की धारा 97 के तहत जैर निगरानी पट्टे जारी किये जाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना है तथा जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में वर्ष 1991 में जारी किया हुआ है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज वर्ष 2006 एवं 2011 के है, जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किये गये है परन्तु उपरोक्त दस्तावेज में लिखत के द्वारा अप्रार्थी ने उक्त पट्टे को निरस्त माना है व आम मुख्तियारनामा में उसी पट्टे के अधिकार प्रार्थी व उसके भाई के पक्ष में निष्पादित किये गये है जबकि लिखत वर्ष 2006 एवं आम मुख्तियारनामा वर्ष 2011 का है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो दस्तावेज विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को वर्ष 2011 में ही जैर निगरानी पट्टै की सचेष्ट रूप से जानकारी हो गयी थी उसके उपरान्त भी उनके द्वारा हस्तगत निगरानी लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी और उनके द्वारा उक्त देरीना के भी कोई स्पष्ट कारण प्रलिक्षित नहीं किये है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953–धारा 27ए–ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे–बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने विक्रय निरस्त किया–उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार–प्रार्थी ने

अति. जिला कलेक्टर पाली

कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरे हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होती है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों को बल देती है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टे की सचेष्ट रूप से जानकारी होने के उपरान्त लगभग 12 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। हस्तगत पट्टे के सम्बन्ध में नियमानुसार मिसल कायम की जाकर प्रश्नगत आराजी का नक्शा बनाकर पंचगणों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं आपत्ति नोटिस जारी किया गया जिस पर मूलसिंह की आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका आपत्तिकर्ता मूलसिंह द्वारा ही समझौता होना बताते हुये निस्तारण किया गया। साथ ही प्रकरण में दो गवाहों के बयान लिये जाकर सर्वसहमति से अप्रार्थी के पिता के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण आधारों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। साथ ही प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया गया है। लिहाजा हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुड़ा सुरसिंह द्वारा मिसल संख्या 1/1982–83, दिनांक 24.01.1982 संकल्प संख्या 05 दिनांक 18.12.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता डुगंरसिंह पुत्र सवाईसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 19.03.1991 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner